

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं०- 02.त0शि0/योजना -03/2021

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
बी0आई0टी0 सिन्दरी।

प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू।

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक,
झारखण्ड।

विषय:-

व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षा अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के आलोक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षणार्थ कुल रू० 1,15,46,400/- (रू० एक करोड़ पन्द्रह लाख छियालीस हजार चार सौ) मात्र भुगतान हेतु आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 07/योजना दिनांक 04.06.2025 एवं विभागीय संकल्प संख्या 765 दिनांक 17.08.2021 तथा 392 दिनांक 20.04.2023 के आलोक में विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों में Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices तथा Advanced Graduate Apprentices एवं Advanced Technician Apprentices के रूप में प्रशिक्षणार्थ छात्रों को पारिश्रमिक के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 में Stipend भुगतान हेतु कुल रू० 1,15,46,400/- (रू० एक करोड़ पन्द्रह लाख छियालीस हजार चार सौ) मात्र की आवंटन की स्वीकृति परिशिष्ट - 'क' के अनुसार प्रदान की जाती है।

2. i. Apprenticeship (Amendment) Rule, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रशिक्षण में छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में डिग्रीधारी छात्रों के लिए रू० 9,000/- प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए रू० 8,000/- प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है एवं भुगतेय किये जाने वाली उक्त Stipend की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान Board of Practical Training (Eastern Region) भारत सरकार द्वारा किया जाने का प्रावधान है।
ii. राज्य सरकार द्वारा डिग्रीधारी प्रशिक्षु के लिए प्रति प्रशिक्षु छात्रवृत्ति रू० 15,000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रू० 10,500/- शामिल है तथा डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए कुल छात्रवृत्ति रू० 10,000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रू० 6,000/- शामिल है, दिया जायेगा। प्रति माह छात्रवृत्ति की अवशेष राशि यथा-डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रू० 4500/- एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रू० 4000/- की राशि DBT के माध्यम से व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त होगा।
3. एक वर्ष के अतिरिक्त प्रशिक्षण के अवधि में Advanced Graduate Apprentices के लिए कुल छात्रवृत्ति रू० 18,000/- प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु एवं Advanced Technician Apprentices के लिए कुल छात्रवृत्ति रू० 12,000/- प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु का भुगतान किया जायेगा।
4. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय हाने वाली राशि का वहन राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा/लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण/उपशीर्ष-A7-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग के

5. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय हाने वाली राशि का वहन राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष-A7-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग के अन्तर्गत मानदेय ईकाई में उपबंधित राशि में से किया जाएगा।
(विपत्र कोड 43S220300796A7010109)
6. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/संबंधित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होंगे।
7. प्रत्येक संस्थान प्रमुख/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकता का पत्रांक 890 दिनांक 12.02.2024, 943 दिनांक 19.02.2024, 930 दिनांक 23.02.2024 तथा 945 दिनांक 26.02.2024 के आलोक में Graduate Apprentices के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह रू0 4500/- एवं Technician Apprentices के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह रू0 4000/- की राशि का भुगतान DBT के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रशिक्षुओं का पंजीयन करवा लेंगे।
8. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/धनबाद/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/पलामू/जमशेदपुर/सरायकेला/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वासन देने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
10. यह राशि State Scheme Code 1288 से संबंधित है।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक- 17/04/98, पत्रांक 274 दिनांक-31.03.2023 एवं पत्रांक 257 दिनांक-21.03.2024 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
14. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
15. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

/राँची, दिनांक-

ज्ञापांक- 02.त0शि0/योजना -03/2021

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/धनबाद/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/पलामू/जमशेदपुर/सरायकेला/उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

/राँची, दिनांक- 17.06.2025

ज्ञापांक- 02.त0शि0/योजना -03/2021/06/बजट

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/बजट शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/06/25